

राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय (सीकर)
 सीकर (सीकर) केम / केम कोर्ट / केम कोर्ट

:- आदेश :-

वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) को निष्प्रतिबन्धित रूप से शूट किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।
 राजस्थान उच्च न्यायालय (सीकर) के आदेश दिनांक 19.07.2019 को अन्वय में
 राजस्थान उच्च न्यायालय (सीकर) के आदेश दिनांक 19.07.2019 को अन्वय में
 राजस्थान उच्च न्यायालय (सीकर) के आदेश दिनांक 19.07.2019 को अन्वय में

| आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है।) | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | खता संख्या | ग्राम |
|--|--|------------|-------|
| राजस्थान उच्च न्यायालय (सीकर) के आदेश दिनांक 19.07.2019 को अन्वय में | राजस्थान उच्च न्यायालय (सीकर) के आदेश दिनांक 19.07.2019 को अन्वय में | 156 का 19 | मावडा |
| राजस्थान उच्च न्यायालय (सीकर) के आदेश दिनांक 19.07.2019 को अन्वय में | राजस्थान उच्च न्यायालय (सीकर) के आदेश दिनांक 19.07.2019 को अन्वय में | 19 का 19 | |
| राजस्थान उच्च न्यायालय (सीकर) के आदेश दिनांक 19.07.2019 को अन्वय में | राजस्थान उच्च न्यायालय (सीकर) के आदेश दिनांक 19.07.2019 को अन्वय में | 21 का 19 | |
| राजस्थान उच्च न्यायालय (सीकर) के आदेश दिनांक 19.07.2019 को अन्वय में | राजस्थान उच्च न्यायालय (सीकर) के आदेश दिनांक 19.07.2019 को अन्वय में | 21 का 19 | |

राजस्थान उच्च न्यायालय (सीकर)
 सीकर उच्च न्यायालय

राजस्थान उच्च न्यायालय (सीकर)
 सीकर उच्च न्यायालय

1702
 21.5.18

राजस्थान उच्च न्यायालय (सीकर)
 सीकर उच्च न्यायालय